न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

प्रार्थी		**अप्रार्थीगण**
कन्हैयालाल सुथार पुत्र ताराजी सुथार जाति सुथार निवासी गलथनी तहसील सुमेरपुर जिला पाली हाल अहमदाबाद	**बनाम**	1.अमराराम पुत्र भूरारामजी 2.केसाराम पुत्र भूरारामजी 3.चंपा पत्नी पुत्र भूरारामजी 4.देवाराम पुत्र चेलाराम 5.वसू पत्नी चेलाराम 6.सदना पुत्री भूराराम 7.सुराराम पुत्र चेलाराम जातियान रेबारी निवासीगण देवली तह0 शिवगंज 8.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री दलपतसिंह राठौड

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र स0 09/2024
दिनांक 23.12.2025

—::आदेश::—

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री दलपतसिंह राठौड ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम कुकडीखेडा, पटवार हल्का बादला, भू.अभि.नि. क्षेत्र शिवगंज, तहसील शिवंगज, जिला सिरोही (राज.) की सींव में खसरा संख्या 4/5 रकबा 1.6187 हैक्टर किस्म बंजर की सम्पूर्ण कृषि .भूमि आई हुई स्थित है जिस खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतू रास्ते का राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने के लिए अपने हित अधिकारो के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम कुकडीखेडा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही में पश्चिम दिशा की तरफ पडौस में अप्रार्थी संख्या एक लगाय सात की कृषि भूमि मौजा कुकडीखेडा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही के खसरा संख्या 4/120 रकबा 0.5827 हैक्टर किस्म बंजर की आई हुई स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 4/5 में आने–जाने हेतू अप्रार्थी संख्या एक लगाए सात की भूमि जो सरहद मौजा कुकडीखेडा, तहसील शिवगंज 4/120 एवं ग्राम कुकडीखेडा में स्थित खसरा संख्या 4/47 तथा सरहद मौजा बडगांव तहसील शिवगंज में स्थित खसरा संख्या 825 के दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे पश्चिम दिशा तक होते हुये प्रार्थी अपने खेत से मुख्य रास्ता बडगांव के खसरा संख्या 825 से आना–जाना करते आ रहे है जिसमें अप्रार्थी संख्या एक लगाए सात द्वारा बार बार व्यवधान पैदा किया जाता है तथा प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतू निकटतम रास्ता अप्रार्थी संख्या एक लगाए सात की भूमि खसरा संख्या 4/120 में से ही है। जिसमें अप्रार्थी संख्या एक लगाए सात द्वारा प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतू रूकावट पैदा की जा रही है। जो रास्ता संलग्न नजरी नक्शानुसार दिलाया जाना कानूनन आवश्यक एवं लाजमी है, जिससे प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रास्ता दिलाने बाबत् पेश है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या एक लगाय सात के खेत खसरा संख्या 4/120 के दक्षिणी माठ के सहारे सहारे होते हुए पूर्व से पश्चिम तक अपने खेत में आना–जाना किया जा रहा है जिस रास्ते को 30 फीट चौडाई में एवं अप्रार्थी संख्या एक लगाय सात के खेत खसरा संख्या 4/120 के लम्बाई में पूर्व से पश्चिम तक रास्ता दिलाये जाने पर मैं प्रार्थी नियमानुसार राशि अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा संख्या 4/5 में आने–जाने हेतू अप्रार्थी संख्या एक लगाय सात के खेत खसरा संख्या 4/120 रकबा 0.5827 हैक्टर किस्म बंजर की आई हुई स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 4/5 में आने–जाने हेतू अप्रार्थी संख्या एक लगाए सात की भूमि जो सरहद मौजा कुकडीखेडा, तहसील शिवगंज 4/120 एवं ग्राम कुकडीखेडा में स्थित खसरा संख्या 4/47 तथा सरहद मौजा बडगांव तहसील शिवगंज में स्थित खसरा संख्या 825 के दक्षिणी माठ के सहारे सहारे पश्चिम दिशा तक के दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे 30 फीट चौडाई में पूर्व से पश्चिम तक संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित रास्ते को अप्रार्थीगण से प्रार्थी को नियमानुसार राजस्व नियमो के तहत दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराने का श्रम करावें।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज–2

प्रकरण सं0 09 / 2024
कन्हैयालाल बनाम अमराराम वगैरह
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र कमाक 201 दिनाक 28.03.2024 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। प्रार्थी अधिवक्ता को दिनांक 24.09.2025 को तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तावित किये गये खसरा नम्बरान के अनुसार प्रभावित होने वाले खातेदारों को पक्षकार बनाने हेतु आदेशित किया गया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 3.10.2025 को संशोधित प्रार्थनापत्र पेश किया व उनके नोटिस जारी किये गये। दिनांक 14.11.2025 को अप्रार्थी सं0 1 ता 7 के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुए परन्तु उपस्थित नहीं होने से दिनांक 16.12.2025 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर उनका जवाब बंद किया गया। दिनांक 16.04.2025 को तहसीलदार शिवगंज ने रास्ते का प्रस्ताव पेश किया जिसमें रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है उपरोक्त खातेदारी में प्रवेश करने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थी के खसरे में प्रवेश करने के लिये प्रस्तावित मार्ग खसरा नं0 4 / 47 व 4 / 120 ग्राम कुकडीखेडा एवं ग्राम बडगांव के खसरा नं0 825 में से गुजरता है। प्रस्तावित रास्ता ग्राम बडगांव के खसरा नं0 825 में से 9.15 मीटर चौडा एवं 120 मीटर लम्बा है। जिसका क्षैत्रफल 1098 वर्गमीटर बनता है। तथा ग्राम कुकडीखेडा के खसरा नं0 4 / 47 में से 9.15 मीटर गुणा 52 मीटर कुल 476 वर्गमीटर व खसरा नं0 4 / 120 में से 9.15 मीटर गुणा 20 मीटर कुल 183 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। जिसकी डीएलसी दर 142000 / –रूपये प्रति हेक्टयर है। प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 1757 वर्गमीटर बनता है। जिसकी राशि 24950 / –रूपये होती है। व दुगुनी राशि 49950 / –रूपये बनती है। दिनांक 16.12.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिवगंज द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव का अवलोकन कर बहस की गई व रास्ते के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की गई।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य, विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत रास्ते के प्रस्ताव का गहनता से अध्ययन व उस पर मनन किया जो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में पंहुचने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लधुत्तम दूरी पर स्थित है, रास्ते की अत्यंत आवश्यकता सिद्ध की है, जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत समझते है।

कसं0	खातेदार का नाम	ग्राम का नाम / खसरा नं0	खसरे में प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल	डीएलसी दर	डीएलसी दर के कीमत रूपये	प्रार्थीगणों द्वारा जमा कराने योग्य दुगुनी राशि
1	अमराराम पुत्र भुराराम जाति रेबारी व अन्य सहखातेदार निवासी देवली	कुकडीखेडा 4 / 120	9.15X20=183 वर्गमीटर	142000 रू0 प्रति0 हैक्टयर EXTERIOR	2599	5,198 / –रूपये अक्षरे पांच हजार एक सौ अंठानवें रूपये।
2	राजस्थान सरकार (बिलानाम)	कुकडीखेडा 4 / 47	9.15X52=476 वर्गमीटर	142000 रू0 प्रति0 हैक्टयर EXTERIOR	6759	13,518 / –रूपये अक्षरे तैरह हजार पांच सौ अठारह रूपये।
2	राजस्थान सरकार (बिलानाम)	बडगांव 825	9.5X120=1098 वर्गमीटर	142000 रू0 प्रति0 हैक्ट. EXTERIOR	15592	31,184 / –रूपये अक्षरे ईकतीस हजार एक सौ चौरासी रूपये।

अतः तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा कुकडीखेडा तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 4 / 5 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु उपर सारणी के अनुसार भूमि में से पंहुचने हेतु मौजा कुकडीखेडा व बडगांव के खसरा नम्बरों के अनुसार 9.15 मीटर चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। जिसकी **दुगनी राशि 49900 / – (उनपचास हजार नौ सौ रूपये)** का भुगतान प्रार्थी द्वारा संबंधित अप्रार्थीगणों को जमा कराने या खातेदार द्वारा राशि नहीं लेने पर उक्त राशि तहसील के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही खातेदारी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुंमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा **एनेक्चर–1** को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)
सहायक कलेक्टर
शिवगंज

कमांक/कोर्ट/2025/ 701 दिनांक 23.12.2025

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार शिवगंज को एक माह में पालना कर रिपोर्ट आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)